

कार्यालय कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी जिला शयोपुर म.प्र.  
 क्रमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / ३८७२  
 शयोपुर दिनांक 25.04.2020

आदेश

कोराना वापरस (कोविड-19) के संकमण फैलने से रोके जाने हेतु जिले में चल रहे लॉकडाउन दोषान निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने हेतु नियमानुसार शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

- श्रमिकों को निर्माण कार्य स्थल पर ही रुकना होगा, आवागमन नहीं करेंगे।
  - प्रत्येक कार्य स्थल पर 50 से अधिक मजदूर कार्य पर नहीं लगाये जायेंगे।
  - श्रमिकों के ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था का उत्तर दायित्व संबंधित टेकेदार का होगा।
  - श्रमिकों को आवश्यक सामग्री मास्क, हैंडवास अथवा साबुन (सेनेटाइजर) पानी उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित टेकेदार का होगा।
  - विना मास्क श्रमिक कार्य नहीं करें।
  - प्रतिदिन निर्माण कार्य प्रारंभ करते समय व समाप्त करते समय प्रत्येक श्रमिक साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा।
  - सोशल डिस्टेन्स का पालन करना होगा मजदूरों के मध्य 6 फिट की दूरी रखा जाना अनिवार्य है।
  - निर्माण विभागों / कार्य ऐजेन्सी को लगाये मजदूरों से संबंधित जानकारी हेतु अनिवार्य संधारण करना अनिवार्य होगा।
  - निर्माण विभाग को मजदूरों से संबंधित संचारित जानकारी सज्जाह के अंतिम कार्य दिवस पर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
- यह अनुमति उपरोक्त शर्तों के अधीन दी गई है शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर सरव्याधित टेकेदार द विभाग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यालयी की जावेगी।



कलेक्टर श्योपुर  
 जिला दण्डाधिकारी  
 जिला शयोपुर, मध्यप्रदेश  
 शयोपुर, दिनांक 25.04.2020

पृष्ठमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / ३८७२ /

प्रतिलिपि:-

- पुलिस अधीकार शयोपुर।
- युव्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शयोपुर।
- अपर कलेक्टर जिला शयोपुर।
- अनुप्रियापीय अधिकारी राजस्व शयोपुर / करगहल / विजयपुर।
- समरत जिला कार्यालय प्रमुख .....
- रामरत महाप्रबंधक / कार्यपालन यंत्री  
 शयोपुर।

कलेक्टर श्योपुर  
 जिला दण्डाधिकारी  
 जिला शयोपुर, मध्यप्रदेश